न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/3514/2005/जैसलमेर

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, जैसलमेर
2. तहसीलदार, जैसलमेर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. खंगार सिंह मृतक जरिये वारिसान–
1/1. मु. तुलछकंवर बेवा खंगारसिंह
1/2. आवडसिंह पुत्र खंगारसिंह
2. कालूसिंह पुत्र डूंगरसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम धायसर तहसील व जिला जैसलमेर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
श्रीमती पूनम माथुर, अति. राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 10.01.2020

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर कैम्प जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–07–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण–प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी–अपीलार्थीगण

के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर ग्राम घायसर स्थित आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 100बीघा 04बिस्वा, 327 रकबा 114बीघा एवं 326 रकबा 88बीघा 05बिस्वा भूमि बाबत् खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-03-1991 से खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध वादीगण की ओर से अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 16-03-1994 से स्वीकार कर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-03-1998 से आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद को पुनः दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19-03-2002 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध वादीगण की ओर से अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27-07-2003 से आंशिक स्वीकार कर वादीगण को खसरा नम्बर 328 रकबा 100बीघा 04बिस्वा एवं खसरा नम्बर 326 रकबा 88बीघा 07बिस्वा का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये तथा खसरा नम्बर 327 बाबत् वादीगण का वाद विद्रा माना गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित स्वविवेकीय निर्णय में हस्तक्षेप कर अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायलाय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि नियमित सेटलमैन्ट में कितनी भूमि पर वादीगण काबिज थे एवं नक्शे के अनुसार नपती कर उनके नाम दर्ज कर दी तथा बकाया रकबे पर कब्जा नहीं होने के कारण विवादित आराजी को सही रूप से सिवायचक दर्ज किया था, जिस पर प्रत्यर्थीगण को कोई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। उनका कथन है कि विवादित खसरा नम्बर 327 रकबा 143बीघा 05बिस्वा भूमि वाद प्रस्तुत करने के दिन प्रहलाद पुत्र राणा के नाम दर्ज थी व अब उसकी पत्नी रूडी देवी के नाम दर्ज है जो वाद में आवश्यक पक्षकार थी किन्तु वादी ने बिना उसे पक्षकार बनाये वाद प्रस्तुत किया, जो संधारण योग्य नहीं था एवं आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद निरस्त योग्य था। उनका कथन है कि विवादित भूमि राजकीय सिवाय चक भूमि है जिस पर वादीगण को कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नही होता तथा वादीगण ने खसरा नम्बर 327 के बाबत् भी वाद पेश किया था किन्तु अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी का वाद संख्या नम्बर 327 के बाबत् विड्रो मानते हुए शेष खसरा नम्बर 328 व 326 के बाबत् डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। योग्य राजकीय अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को

क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण समरी सेटलमैन्ट में खसरा नम्बर 9, 10 एवं 11 कुल रकबा 575बीघा भूमि के राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज थे। नियमित सैटलमैन्ट में समरी खसरा नम्बर 9, 10 व 11 के नवीन खसरा नम्बर 423, 424, 328, 327 एवं 326 कायम किये जाकर खसरा नम्बर 423 एवं 424 रकबा 272बीघा 19बिस्वा की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी तथा खसरा नम्बर 328, 327 एवं 326 को राजस्व अभिलेख में सिवाय चक दर्ज कर दिया। उनका कथन है कि विचारण न्यायलाय के समक्ष प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे में भी हाल खसरा नम्बर 326 व 328 के कुछ भाग पर वादीगण की काश्त होना माना गया है। उनका कथन है कि मौका रिर्पोट दिनांक 05-08-2001 में भी वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त माना गया है। उनका कथन है कि समरी सेटलमैन्ट अर्थात भू-प्रबन्धन संक्रिया प्रारम्भ के समय वादीगण राजस्व अभिलेख से विवादित आराजी पर काबिज काश्त होकर खातेदार थे, इसलिए नियमित सेटलमैन्ट में उनकी खातेदारी का रकबा कब्जा होने के बावजूद कम करना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना एवं विश्लेषण किये बिना वाद को खारिज कर दिया, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य था। उनका कथन है कि वादीगण की ओर अपीलीय न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 327 की हद तक वाद को विड्रो किये जाने का अनुतोष चाहा गया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर खसरा

नम्बर 327 की हद तक मूल वाद को विड्रो कर शेष खसरा नम्बर की खातेदारी प्रदान की गयी है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारिकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में रणवीरसिंह चौहान तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र तथा विभिन्न माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में प्रतिपादित सिद्धान्तों के मद्देनजर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त भी प्रकरण को तकनीकी बिन्दू पर निस्तारण न कर मेरिट पर निर्णीत करना श्रेयस्कर होने से, देरी क्षम्य किये जाने योग्य है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत ग्राम घायसर स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 328 रकबा 100बीघा 04बिस्वा, 327 रकबा

114बीघा एवं 326 रकबा 88बीघा 05बिस्वा भूमि बाबत् खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत कर कथन किया कि समरी खसरा नम्बर 9, 10 एवं 11 कुल रकबा 575बीघा भूमि वादीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज थी तथा भू–प्रबन्ध विभाग ने नियमित सेटलमैन्ट में कायम किये गये खसरा नम्बर 423 व 424 की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज कर दी तथा शेष कायम खसरा नम्बर 328, 327 व 326 सिवाय चक दर्ज कर दिये, जिसे पुनः वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे। प्रतिवादी तहसीलदार, जैसलमेर की ओर से भी जवाबदावा की मद संख्या–3 में खसरा नम्बर 326 व 328 की भूमि के कुछ भाग पर वादीगण के कब्जे काश्त में दर्ज होना अंकित किया गया है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या समरी सेटलमैन्ट में वादीगण के नाम समरी खसरा नम्बर 9, 10 एवं 11 कुल रकबा 575बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज थी, जिसे नियमित सेटलमैन्ट के दौरान कुल रकबा कम करते हुए केवल मात्र 272बीघा 19बिस्वा भूमि ही वादीगण के नाम दर्ज की गयी है अथवा सम्पूर्ण भूमि? एवं क्या भू–प्रबन्ध विभाग को बिना न्यायिक आदेश के किसी खातेदार का रकबा कम करने का विधिक अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं? अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी प्रदर्श–16 के अनुसार समरी खसरा नम्बर 9, 10 एवं 11 का कुल रकबा 575बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज थी। प्रदर्श–28 सैटलमैन्ट तुलनात्मक रजिस्टर के अनुसार 272.19बीघा भूमि ही वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की गयी, शेष 302.1बीघा भूमि कालम संख्या 16 में कमी होना बताया, यह कमी रकबा किस कारण कम किया गया यह बताने का दायित्व प्रतिवादी का था किन्तु प्रतिवादी अपीलार्थी ने मूल वाद में प्रस्तुत जवाबदावे में अंकित किया कि स्थाई भू–प्रबन्ध के समय सर्वे के अनुसार वादीगण के खाते में दर्ज भूमि मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार अंकित की गयी है, जो सही है। इस प्रकार समरी सेटलमैन्ट

अर्थात् भू–प्रबन्धन संक्रिया प्रारम्भ के समय वादीगण राजस्व अभिलेख में 575बीघा भूमि पर काबिज काश्त होकर खातेदार दर्ज रिकार्ड थे। इसलिए नियमित सैटलमैन्ट अथवा सेटलमैन्ट समाप्ति पर उनकी खातेदारी का रकबा कब्जा होने के बावजूद बिना सक्षम न्यायिक आदेश के कम करना उचित नहीं है। विधि द्वारा सुस्थापित है कि भू–प्रबन्धन विभाग को गत प्रविष्टियों का ही आगे दोहरान करना होता है एवं भू–प्रबन्ध विभाग बिना न्यायिक आदेश के किसी भी खातेदार का रकबा कम–ज्यादा नहीं कर सकते है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा प्रदर्श–2 लगायत प्रदर्श–10 ढालबांछ सम्वत् 2015 से सम्वत् 2031 में खसरा नम्बर 9, 10 व 11 कुल रकबा 575बीघा भूमि कॉलम संख्या–2 के अनुसार वादीगण व उनके पूर्वजों के नाम दर्ज थी। इसी प्रकार खसरा गिरदावरियां प्रदर्श–11 से प्रदर्श–15 सम्वत् 2015 से 2031 में विवादित आराजी पर वादीगण व उनके पूर्वजों की काश्त दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 2020 एवं 2021 से 2024 एवं 2024 से 2027 प्रदर्श–16 के अनुसार खसरा नम्बर 9, 10 व 11 कुल रकबा 575बीघा भूमि राजसिंह, खंगारसिंह पिसरान डूंगरसिंह राजपूत के नाम दर्ज थी। प्रदर्श–17 जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 में भी इसी प्रकार का इन्द्राज है। प्रतिलिपि सेटलमैन्ट तुलनात्मक रजिस्टर ग्राम धायसर प्रदर्श–28 के अनुसार समरी के खसरा नम्बरान की भूमि में से वादीगण के नाम रेग्यूलर सेटलमैन्ट विभाग द्वारा वर्तमान पेमाईश में नवीन खसरा नम्बर 423 रकबा 167.13बीघा व 424 रकबा 105.06बीघा कुल रकबा 272.19बीघा दर्ज की गयी, शेष 302बीघा01बिस्वा भूमि कॉलम संख्या–16 में कमी होना अंकित किया जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से समरी में वादीगण के नाम 575बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित होता है। हस्तगत प्रकरण एक विशेष क्षेत्र जैसलमेर से सम्बन्धित है, जो अपने भू–भाग की विशिष्ट प्रकृति के कारण प्राकृतिक आपदाओं यथा सुखा, अकाल आदि से घिरा रहता है एवं वहां

की जमीन अधिकतर रेतीली एवं मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होने से कृषक कभी कभी उक्त कारणों से सम्पूर्ण आराजी पर काश्त नहीं कर पाता है एवं कुछ रकबे पर काश्त न करने की सजा एक सद्भावी कृषक को उसकी खातेदारी समाप्त कर प्रदान करना भी उसके साथ न्याय का हनन होगा।

10. प्रस्तुत प्रकरण में वर्तमान खसरा नम्बर 328 रकबा 100.04बीघा व खसरा नम्बर 326 रकबा 88.06बीघा बाबत् मौका रिपोर्ट जो तहसीलदार द्वारा दिनांक 05–08–2001 को बनाई गयी, जो पत्रावली में उपलब्ध है, उसके अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त जिस प्रकार से अंकित किया गया है, उसके अनुसार एवं प्रस्तुत खसरा गिरदावरियां एवं खसरा परिवर्तशनील के अवलोकन से वादीगण के समरी की भूमि जो रेग्यूलर सेट्लमैन्ट में कमी दर्ज हुई, उसकी खातेदारी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है क्योंकि उक्त विवादित आराजी भी उनके कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि थी। जहां तक खसरा नम्बर 327 रकबा 143. 15बीघा भूमि प्रहलाद पुत्र राणा कौम भील के नाम खातेदारी में दर्ज होने एवं उसे मूल वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय न्यायालय के समक्ष वादीगण प्रत्यर्थीगण की ओर से उक्त खसरा नम्बर बाबत् किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहने एवं मौखिक कथन के आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त खसरा नम्बर बाबत् वाद विड्रो किया जाना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। इसके विपरीत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है, जिसमें पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर विस्तृत

विवेचना की गयी है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नही होती है।

11. योग्य राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों, उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर कैम्प जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-07-2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य